पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग–2

मंगलवार, तिथि 30 माघ, 1934 (श0)
19 फरवरी, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति कल्याण विभाग	01
(2)	परिवहन विभाग	01
(3)	शिक्षा विभाग	02
	कुल योग ..	04

राशि खर्च करना

1. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि महादलितों के विकास हेतु बिहार में महादलित विकास मिशन नामक संस्था गठित की गई है तथा राज्य के सभी जिलों में 8805 विकास मित्रों का चयन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार महादलित विकास मिशन को 98 करोड़ रु0 विकास मित्रों के साइकिल क्रय हेतु बिहार के सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार के किसी भी जिले में राशि आवंटन के बावजूद विकास मित्रों को साइकिल उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विकास मित्रों को साइकिल उपलब्ध नहीं कराने तथा राशि खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

2. श्री शशि भूषण हजारी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1717, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 की अवहेलना कर प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुर, ककोरबा विद्यालय का भवन निर्माण नहीं करा सके हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 214, दिनांक 21 जनवरी, 2013 का भी अनुपालन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, किरतपुर द्वारा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कानून बनाना

3. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा (प्रा0 शि0) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011–12, 2012–13 में निजी स्कूलों द्वारा 40 प्रतिशत फीसों में बढ़ोतरी कर अभिभावकों को नोटिस थमा दिया गया, जिससे अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निजी स्कूलों के फीस पर नियंत्रण करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा अबतक कानून नहीं बनाये गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निजी स्कूलों के फीस को नियंत्रण करने के लिये कानून बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

किराया का निर्धारण

4. श्री विनोद नारायण झा—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2000 के बाद राज्य सरकार की ओर से अबतक प्राइवेट बसों के लिये प्वाइंट–टू–प्वाइंट बस भाड़े का निर्धारण नहीं किया गया है और प्राइवेट बसों के मालिक अपने स्तर से मनमाने ढंग से बसों का किराया निर्धारित करते आ रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न बस मार्गों पर चलने वाले प्राइवेट बसों का किराया पथ परिवहन निगम के बसों के किराये से अधिक है और 22 सितम्बर, 2012 से प्राइवेट ऑपरेटरों ने बस भाड़े में बीस प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि कर दी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के विभिन्न मार्गों पर चलने वाले प्राइवेट बसों का प्वाइंट–टू–प्वाइंट किराया निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 19 फरवरी, 2013 (ई0)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 203–डी0टी0पी0–450